आरईसी

अनन्त ऊर्जा, अपार संभावनाएं

आरईसी विवेकपूर्ण मापदंड

तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा की अनुसूची के रूप में सम्मिलित कारपोरेशन की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में, संक्षेप में, कारपोरेशन द्वारा अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण मापदंडों का उल्लेख किया गयाहै । तथापि, आरईसी द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण मापदंडों को विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस की गई है । तदनुसार, इन विवेकपूर्ण मापदंडों को तैयार किया है और उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है । ये विवेकपूर्ण मापदंड सामान्यतः समय-समय पर यथासंशोधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मापदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के जरिए एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विवेकपूर्ण मापदंडों पर आधारित हैं, और जब तक परिवर्तन न किया गया हो वैसी ही भाषा रखी गई है ।

1. आरईसी के ये विवेकपूर्ण मापदंड 1 अप्रैल, 2007 से लागू होंगे, परंतु 'क्रेडिड/निवेश का संकेन्द्रण' संबंधी मापदंड तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे ।

2. **परिभाषाएं**

(1) इन मापदंडों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(i) ''अवशिष्ट मूल्य'' से ऐसी साधारण पूंजी और आरक्षतियां अभिप्रेत हैं जो निवेशकारी कंपनी के साधारण शेयरों की संख्या से विभाजित करके अमूर्त आस्तियों और पुनर्मूल्यांकन आस्तियों से घटाई गई हैं ;

(ii) ''वहन लागत'' से आस्तियों का बही मूल्य तथा उस पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज अभिप्रेत है ;

(iii) ''चालू निवेश'' से ऐसा निवेश अभिप्रेत है जो अपने स्वरूप के अनुसार तुंत वसूलनीय है और उस तारीख से जिसको निवेश किया जाता है, एक वर्ष अनधिक के लिए

धारित किया जाना आशयित है ;

(iv) ''संदेहास्पद आस्ति'' से -

(क) आवधिक ऋण, या

(ख) पट्टा आस्ति, या

(ग) किराया खरीद आस्ति, या

(घ) कोई अन्य आस्ति

अभिप्रेत है जो 18 मास से अधिक की अवधि के लिए अवमानक आस्ति बनी रहती है ;

(v) ''उपार्जन मूल्य'' से ऐसे इक्विटी शेयर का मूल्य अभिप्रेत है, जिसे अधिमान लाभांश से कर घटाने के पश्चात् लाभों का औसत निकालकर संगणित किया जाता है और ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों तक असाधारण तथा अनावर्ती मदों के लिए समायोजित किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित दरों पर निवेशकारी कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से फिर विभाजित तथा पूंजीकृत किया जाता है :-

(क) प्रमुखतः विनिर्माणी कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत ;

(ख) प्रमुखतः व्यापारी कंपनी के मामले में दस प्रतिशत ; और

(ग) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत ;

टिप्पणी : यदि कोई निवेशकारी कंपनी एक हानिकारित कंपनी हो, तो उपार्जन मूल्य शून्य माना जाएगा ।

(vi) ''उचित मूल्य'' से उपार्जन मूल्य तथा अवशिष्ट मूल्य का मध्यमान अभिप्रेत है ;

(vii) ''मिश्र ऋण'' से ऐसी पूंजी लिखत अभिप्रेत है जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों के कतिपय विशेषताएं हों ।

(viiक) 'अवसंरचना ऋण' से ऐसी क्रेडिट सुविधा अभिप्रेत है जो किसी उधार लेने वाले को

आरईसी द्वारा अवधि ऋण, परियोजना वित्त पैकेज के भाग रूप में अर्जित परियोजना कंपनी में बंध पत्रों/डिबेंचरों/अधिमान शेयरों/इक्विटी शेयरों के परियोजना ऋण अभिदान के रूप में इस प्रकार दी जाती है कि यह अभिदान रकम ''अग्रिम प्रकृति'' की हो या उधार लेने वाली निम्नलिखित में लगी कंपनी को प्रदान की गई दीर्घकालिक वित्तपोषित सुविधा का कोई अन्य प्रकार हो;

- विकासशील या
- प्रचालन तथा अनुरक्षण करना
- किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करना, उसे प्रचालित करना तथा अनुरक्षित अर्थात् ऐसी परियोजना जो निम्नलिखित में लगी है:

  (क) उत्पादन या विद्युत उत्पादन तथा वितरण

  (ख) नई पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का बिछाकर विद्युत का पारेषण या वितरण

  (ग) वैसी ही प्रकृति की कोई अन्य अवसंरचना

(viiख) ''संयुक्त सेक्टर उधारकर्ता'' एक ऐसी संस्था होगी जिसके संबंध में कम से कम 26औ इक्विटी शेयर पूंजी धारित की गई है या प्राइवेट क्षेत्र की सहभागिता सहित एक रूप से या संयुक्त रूप से केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्रीय सरकार की सरकारी क्षेत्रक उपक्रम/ राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्रक उपक्रम द्वारा आदाय की जानी प्रतिबद्ध है ।

(viii) ''हानि आस्तियां'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) कोई ऐसी आस्ति जिसे इस सीमा तक आरईसी द्वारा हानि आस्ति के रूप में अभिज्ञात किया गया है कि इसे आरईसी द्वारा अपलिखित नहीं किया जाता है या आस्ति 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, संदेहास्पद रहती है ।

(ख) ऐसी आस्ति जो या तो प्रतिभूति मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति की अनुपलभ्यता के कारण या उधार लेने वाले की ओर से किसी कपटपूर्ण कर्म या चूक के कारण अवसूलनीयता की संभाव्य आशंका से प्रतिकूल रूप से

प्रभावित होती है ।

(ix) ''दीर्घकालिक निवेश'' से चालू निवेश से भिन्न निवेश अभिप्रेत है ;

(x) ''शुद्ध आस्ति मूल्य'' से उस विशिष्ट स्कीम की बात संबद्ध पारस्परिक निधि द्वारा हाल ही में घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य अभिप्रेत है ;

(xi) ''शुद्ध बही मूल्य'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(क) किराया खरीद आस्ति की दशा में, ऐसी अतिदेय तथा प्राप्य भावी किस्तों का योग जो अपरिपक्व वित्त प्रभारों के अतिशेष से घटाकर आता है तथा जो इन मापदंडों के पैरा 8(2)(i) के अनुसार किए गए उपबंधों के द्वारा और घटाया जाता है ;

(ख) पट्टे पर दी गई आस्ति की दशा में, अतिदेय पट्टे के किराए के पूंजी भाग का योग जो प्राप्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है तथा पट्टा समायोजन लेखा के अतिशेष से समायोजित रूप में पट्टा आस्ति को मूल्यह्रास बही मूल्य ।

(xii) गैर-निष्पादनकारी आस्ति (जिन्हें इन मापदंडों में ''एनपीए'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(क) ऐसी आस्ति जिसके संबंध में ब्याज छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है ;

(ख) जब किस्त छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो या जिस पर ब्याज रकम छह मास या अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है, असंदत ब्याज सहित आवधिक ऋण ;

(ग) ऐसी मांग या मांग ऋण जो मांग की तारीख से छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है या जिसको ब्याज रकम छह मास या अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही है ;

(घ) ऐसा कोई बिल जो छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है ;

(ङ) ऐसे अल्पकालिक ऋणों/अग्रिमों के स्वरूप की ''अन्य चालू आस्तियां'' शीर्ष के अधीन प्राप्यों पर ऋण या आय के संबंध में ब्याज छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है ।

(च) ऐसी आस्तियों के विक्रय या की गई सेवाओं या उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के मद्दे कोई देय जो छह मास या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं ;

(छ) ऐसा पट्टा किराया और किराया खरीद की किस्त जो बारह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गई है ;

(ज) उन ऋणों, अग्रिमों तथा अन्य क्रेडितट सुविधाओं (जिनके अंतर्गत क्रय किए गए तथा बट्टा किए बिल भी हैं), क्रेडिट सुविधाओं के अधीन बकाया अतिशेष (जिसमें प्रोदभूत ब्याज भी शामिल है) के संबंध में, जिन्हें, जब कोई उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं में से कोई क्रेडिट सुविधा गैर निष्पादनकारी आस्ति बन जाती है, उसी उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है ।

(xiii) ''स्वामित्वाधीन निधि'' से ऐसे समादत्त इक्विटी पूंजी, अधिमान शेयर अभिप्रेत है जो इक्विटी, मुक्त आरक्षतियों शेयर प्रीमियम लेखा में अतिशेष तथा आस्ति के विक्रय आगमों से उद्भूत अधिशेष के रूप में पूंजी आर क्षतियों में अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय हैं जिसके अंतर्गत आस्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित वे आरक्षतियां नहीं है जिन्हें संचित हानि अतिशेष, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, से घटा दिया गया हो ।

(xiv) (क) ''मानी गई आस्ति'' से

ऐसी आस्ति अभिप्रेत है जो खंड 2 (1)(xii) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार गैर-नष्पादनकारी आस्तियां नहीं है और जिसके संबंध में मूलधन के पुनर्संदाय या ब्याज के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं समझा जाता और जो किसी समस्या के न तो प्रकट

करता है कारबार से संबंधित अधिक सामान्य जोखिम को चलाता है और एक ऐसी मानक आस्ति जिसे नीचे परिभाषित किया गया है ; और

''मानव मानक आस्ति'' से

ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो आरईसी को, उसके असंदत बकायों के लिए भुगतान करने हेतु केंद्रीय योजना आबंटन से कटौती के लिए राज्य सरकार के उपक्रम के संबंध में सरकारी यूटिलिटी के लिए बनाई जाती है ।

(xv) ''अवमानक आस्ति'' से, -

(क) ऐसी आस्ति अभिप्रेत है जिसे 18 मास से अनधिक की अवधि के लिए गैर-निष्पादनकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) ऐसी आस्ति अभिप्रेत है जहां ब्याज और/या मूलधन के बारे में करार के निबंधनों पर पुनः बातचीत से तय की गई या पुनःनियत की गई या पुनःनिर्मित की गई हो वहां तब तक जब तक बातचीत से तय किए गए अनुसार या पुनःनियत किए गए अनुसार या पुनःनिर्मित निबंधनों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है :

परंतु किसी अवमानक आस्ति के रूप में अवसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैरा 13ख के उपबंधों के अनुसार होगा ;

(xvi) ''अधीनस्थ ऋण'' से ऐसी पूर्णरूप से समादत्त पूंजी लिखत अभिप्रेत है जो अप्रतिभूत है और अन्य लेनदारों के दावों के लिए अधीनस्थ है तथा प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त है और धारक के कहने पर या आरईसी के सक्षम प्राधिकारी के सहमति के बिना मोचनीय नहीं है । ऐसी लिखत का बही मूल्य नीचे दिए गए अनुसार बट्टे पर भुगतान के अध्यधीन होगी:

लिखतों की शेष परिपक्वता	**बट्टे की दर(औ)**
(क) 1 वर्ष तक	100औ
(ख) 1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष तक	80औ

(ग) 2 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक 60औ

(घ) 3 वर्ष से अधिक परंतु 4 वर्ष तक 40औ

(ङ) 4 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक 20औ

की ऐसी सीमा तक होगी कि ऐसा बट्टा मूल्य, टियर 1 पूंजी का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(xvii) ''सारभूत हित'' से किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा लाभार्थ हित को धारण करना अभिप्रेत है चाहे वे कंपनी के शोयरों में एकल रूप से या एक साथ लिए गए हो, भुगतान की गई ऐसी रकम जिस पर कंपनी की समादत्त पूंजी दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, या किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदाय की गई पूंजी ।

(xviii) ''टियर-1 पूंजी'' से अन्य एनबीएफसी के शेयरों में तथा उसी समूह में समनुषगियों तथा कंपनियों को किए गए किराया खरीद और पट्टा वित्त तथा उनके पास निक्षेपों सहित शेयरों, डिबेंचरों बंधपत्रों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में किए गए निवेश से घटाकर निकाली गई स्वामित्वाधीन निधि अभिप्रेत है, जो स्वामित्वाधीन निधि के योग का दस प्रतिशत है ;

(xix) ''टियर-।। पूंजी'' में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) उन अधिमानी शेयरों को छोड़कर ऐसे अधिमानी शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में संपरिवर्तनीय हैं ;

(ख) पचपन प्रतिशत की कटौती दर पर आरक्षितियों का पुनर्मूल्यांकन ;

(ग) उस सीमा तक सामान्य उपबंध तथा हानि आरक्षितियां जिस तक वे किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में मूल्य की वास्तविक कमी या अभिज्ञेय संभाव्य हानि के कारण न हो सकने वाली मानी जा सकती है और आस्तियों के नियत जोखिम सवा (1¼) प्रतिशत तक अप्रत्याशित हानियों को चुकाने के लिए उपलब्ध हैं ;

(घ) मिश्र ऋण पूंजी लिखत, और

(ङ) अधीनस्थ ऋण

उस सीमा तक जिसका योग टियर-1 पूंजी से अधिक न हो ।

(2) अन्य शब्द या पद जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मापदंड (रिजर्व बैंक) निक्षेप स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 या अवशिष्ट गैर बैंककारी कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 में प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम या उन निदेशों के अधीन समय-समय पर उनको समनुदेशित किए गए हैं कोई अन्य शब्द या पद के, जो उस अधिनियम में के या उन निदेशों में परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होंगे जो उनके कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में हैं ।

3. आय को दी गई मान्यता

(1) आय को दी गई मान्यता मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित है । वित्तीय लेखा लागू लेखा मानकों के अनुसार प्रोद्भवन पद्धति के तहत ऐतिहासिक लागत पर चालू आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन तैयार किए जाते हैं ।

जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया है वहां गैर निष्पादनकारी आस्तियों पर आय को, जब और जैसे ही उसे प्राप्त किया जाता है तथा विनियोग किया जाता, मान्यता दी जाती है । जब तक अन्यथा सहमति न हो जाए उधारकर्ता से वसूलियां (i) आरईसी लागत और खर्च (ii) ब्याज कर सहित शास्तिक ब्याज, यदि कोई हो (iii) ब्याज कर सहित अतिदेय ब्याज, यदि कोई हो और (iv) मूलधन का पुनःसंदाय, सबसे पुराने को पहले समायोजित करके ।

ऐसे ऋणों की बाबत, जिनकी निबंध पुनः बातचीत द्वारा तय किए जाते हैं । पुनः नियत किए जाते हैं । पुनः विनिर्मित किए जाते हैं, आय को प्रोद्भूत आधार पर तब मान्य ठहराया जाएगा जब युक्तियुक्त रूप से यह आशा की गई है कि उधार लेने वालों से बकायों की प्राप्ति की कोई अनिश्चितता नहीं है और विधिक रूप से करार का आबद्धकर ज्ञापन निष्पादित कर लिया गया

है तथा उसके स्थान पर सहमति पत्र की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनः बातचीत द्वारा तय किए गए या पुनः नियत किए गए या पुनः निर्मित किए निबंधनों के अधीन संतोषजनक निष्पादन रहा है ।

(2) ब्याज/मितिकाटा गैर निष्पादनकारी आस्ति पर किसी अन्य प्रभाव सहित आय के केवल तब मान्य ठहराई जाती है जब इस वास्तविक रूप से वसूल किया जाता है । आस्ति से पूर्व मान्य ठहराई गई कोई ऐसी आय गैर निष्पादनकारी आस्ति बन जाती है और शेष वसूल न की गई प्रत्यावर्तित हो जाती है ।

(3) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, जहां किस्तें 12 मास से अधिक अतिदेय है वहां आय केवल तब मान्य ठहराई जाएगी जहां किराया प्रभार वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। किसी आस्ति से पूर्व लाभ और हानि के क्रेडिट में ली गई ऐसी आय गैर निष्पादनकारी बन जाती है और शेष वसूल न की गई प्रत्यावर्तित हो जाएगी ।

(4) पट्टा आस्तियों की बाबत, जहां पट्टा किराया 12 मास से अधिक अतिदेय है, वहां आय केवल तब मान्य ठहराई जाएगी जब पट्टा किराया वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं । आस्ति से पहले लाभ तथा हानि के क्रेडिट में लिया गया शुद्ध पट्टा किराया गैर निष्पादनकारी बन जाता है और शेष वसूलन किया गया, प्रत्यावर्तित हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए, 'शुद्ध पट्टा किराया'' से लाभ तथा हानि लेखे में विकलित/जमा पट्टा समायोजन लेखा द्वारा यथा समायोजित सकल पट्टा किराया और जिसमें से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के अधीन लागू दर पर मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाता है ।

4. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों तथा मुचुअल निधियों की इकाइयों के शेयरों पर लाभांशों से प्राप्त आय नकद आधार पर लेखे में ली जाएगी :

परंतु कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय प्रोद्भूत आधार पर लेखे में तब ली जा सकती है जब ऐसा लाभांश कारपोरेट निकाय द्वारा इसकी साधारण बैठक में घोषित

कर दिया गया है और भुगतान को प्राप्त करने का आरईसी का अधिकार सिद्ध हो जाता है ।

(2) कारपोरेट निकायों के बंधपत्रों तथा डिबेंचरों और सरकारी प्रतिभूतियों/बंधपत्रों से प्राप्त आय प्रोद्भवन आधार पर लेखा में ली जाएगी :

परंतु इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व निर्धारित है और ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और इसका कोई बकाया नहीं है ।

(3) निगमित निकायों या सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, ब्याज का भुगतान तथा मूलधन का पुनःभुगतान जिसकी गारंटी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई है, प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिए जाएंगे ।

5. लेखा मानक

भारतीय चार्टर्ड लेखा संस्थान द्वारा जारी किए लेखा मानक तथा मार्गदर्शी टिप्पणों का अनुसरण किया जाता है ।

6. निवेश का लेखा

(1) (क) कंपनी निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई गई निवेश नीति का पालन करती है ;

(ख) चालू तथा दीर्घकालिक निवेशों में निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए मानदंड निवेश नीति में कंपनी के बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा ;

(ग) प्रतिभूतियों में निवेश, प्रत्येक निवेश को करते समय चालू तथा दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा ;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-वर्गीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ;

(ii) यदि अपेक्षा की जाए तो अंतर-वर्गीय स्थानांतरण निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से 1 अप्रैल को या 1 अक्तूबर को प्रत्येक छहमाही के आरंभ होने पर ही किया जाएगा ;

(iii) निवेश बही मूल्य या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, चालू से दीर्घकालिक

या विपर्ययेन स्क्रिपवार अंतरित किया जाएगा ;

(iv) प्रत्येक स्क्रिप में, मूल्यह्रास, यदि कोई हो, पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ;

(v) एक स्क्रिप में मूल्यह्रास, ऐसे अंतरवर्गीय स्थानांतरण के समय, यहां तक कि उसी श्रेणी की स्क्रिपों के संबंध में भी, किसी अन्य स्क्रिप में मूल्यवृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ।

(2) मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए कोट किया गया चालू निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में समूह में रखा जाएगा, अर्थात्

(क) इक्विटी शेयर,

(ख) अधिमानी शेयर

(ग) सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें सरकारी हुण्डी भी हैं

(ङ) पारस्परिक निधि की इकाइयां, और

(च) अन्य

प्रत्येक श्रेणी के लिए कोट किए गए चालू निवेश का मूल्यांकन लागत पर या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक श्रेणी में निवेश पर स्क्रिपवार विचार किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी में लागत तथा बाजार मूल्य का सभी निवेशों के लिए योग किया जाएगा । यदि इस श्रेणी के लिए समग्र बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए समग्र लागत से कम है, शुद्ध मूल्यह्रास लाभ तथा हानि खाते के लिए उपलब्ध कराया जाएगा या उसमें से देय होगा । यदि इस श्रेणी के लिए समग्र बाजार मूल्य श्रेणी के लिए समग्र लागत से अधिक है तो शुद्ध मूल्यवृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा । निवेशों की एक श्रेणी में मूल्यह्रास किसी अन्य श्रेणी में मूल्यवृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ।

(3) चालू निवेशों की प्रकृति वाले कोट न किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर या अवशिष्ट मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाएगा । तथापि आरईसी, यदि आवश्यक समझा जाए, शेयरों के अवशिष्ट मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य तय कर सकती है । जहां निवेशकारी कंपनी का तुलन पत्र दो वर्ष से उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन केवल एक रुपए पर किया जाएगा ।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति वाले कोट न किए गए अधिमान शेयरों को मूल्यांकन लागत या अंकित मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाएगा ।

(5) कोट न की गई सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्रों में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा ।

(6) चालू निवेशों के प्रकृति वाले पारस्परिक निधियों की इकाइयों में कोट न किए गए निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक विशिष्ट स्कीम की बाबत पारस्परिक निधि द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य पर किया जाएगा ।

(7) वाणिज्यिक कागजपत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा ।

(8) दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन भारतीय चार्टर्ड लेखा संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक के अनुसार किया जाएगा 1

टिप्पण : कोट न किए गए डिबेंचरों को आय मान्यता तथा आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करते हुए दीर्घकालिक ऋण या अन्य प्रकार की क्रेडिट सुविधाओं के रूप में समझा जाएगा ।

7. आस्ति वर्गीकरण

(1) आरईसी सुपरिभाषित क्रेडिट खामी की मात्रा तथा वसूली के लिए सांपार्श्वक प्रतिभूति पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखने के पश्चात्, अपनी पट्टे/किराया खरीद आस्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों और किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात् :-

(i) मानक आस्तियां ;

(ii) अवमानक आस्तियां ;

(iii) संदेहास्पद आस्तियां, और

(iv) हानि आस्तियां

(2) ऊपर निर्दिष्ट वर्ग की आस्तियां पुनः नियत करने के परिणामस्वरूप मात्र तब तक उन्नत की

जाएंगी जब तक इसमें उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया गया हो ।

(3) विवेकपूर्ण मापदंडों तथा उपबंधकारी मापदंडों को लागू किए जाने के प्रयोजनों के लिए,

(i) राजय/केंद्रीय क्षेत्रक संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं पर ऋणवार विचार किया जाता है ।

(ii) अन्य आस्तित्वों को प्रदान की गई सुविधाओं पर उधार लेने वालों के अनुसार विचार किया जाता है ।

8. उपबंधकारी अपेक्षाएं

आरईसी, गैर-निष्पादनकारी बनने वाले खाते, उस रूप में उसकी मान्यता, प्रतिभूति की वसूली तथा प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में अतिकाल ह्रास के बीच समय अंतर, पर विचार करने के पश्चात् इसमें नीचे दी गई अवमानक आस्तियों, संदेहास्पद आस्तियों तथा हानि आस्तियों के लिए उपबंध करती है :

1. ऋण, अग्रिम तथा अन्य क्रेडिट सुविधाएं जिनमें क्रय की गई तथा बट्टा की गई हुंडियां हैं ।

ऋण, अग्रिम तथा अन्य इक्विटी सुविधाओं जिनमें क्रय किए गए तथा बट्टा किए गए बिल भी है, की बाबत उपबंधकारी अपेक्षा निम्नवत् होगी :

(i) हानि आस्तियां : संपूर्ण आस्ति बट्टे खाते में डाल दी जाएंगी । यदि किसी कारण से आस्तियां बहियों में रहने दिए जाने के लिए अनुज्ञात की जाती हैं, तो 100औ बकाया का उपबंध किया जाएगा ;

(ii) संदेहास्पद आस्तियां -

(क) उस सीमा तक 100औ उपबंध, जिस तक 100औ प्रतिभूति का वसूल किए जाने योग्य मूल्य पूरा नहीं हो पाता जिसके लिए आरईसी के पास विधिमान्य सहारा है,

किया जाएगा । वसूल किए जाने योग्य मूल्य का वास्तविक आधार पर आकलन किया जाएगा ; किसी राज्य सरकार के लिए केंद्रीय योजना आबंटन या ऋण से कटौती के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार गारंटी या राज्य सरकार उपक्रम अंतर्गत आने वाले ऋण सुरक्षित समझे जाएंगे ;

(ख) ऊपर मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि पर निर्भर करते हुए जिसके लिए आस्ति संदेहास्पद रही है, सुरक्षित भाग (अर्थात् बकायाओं का प्राक्कलित वसूलीयोग्य मूल्य) का 20औ से 50औ की सीमा तक उपबंध निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :-

अवधि जिसके लिए आस्ति संदेहास्पद समझी गई है	उपबंध का औ
एक वर्ष तक	20औ
1 से 3 वर्ष	30औ
3 वर्ष से अधिक	50औ

(iii) अवमानक आस्तियां 10औ का उपबंध कयि जाएगा

2. पट्टा और किराया खरीद आस्तियां

किराया खरीद तथा पट्टाकृत आस्तियों के संबंध में उपबंधकारी अपेक्षाएं निम्नवत् होंगी :

किराया खरीद आस्तियां

(i) किराया खरीद आस्तियों की बाबत ; कुल देय को (अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ मिलाकर) निम्नलिखित में घटाकर

(क) ऐसे वित्त प्रभार जो लाभ तथा हानि के खाते जमा नहीं है और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में अग्रेनीत किए गए हैं ; और

(ख) अंतर्निहित आस्ति का मूल्यह्रास का उपबंध किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए :

(1) आस्ति का मूल्यह्रास सटीक पद्धति पर बीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर मूल्यह्रास में से घटाकर आने वाली आस्ति की मूल लागत के रूप में वैचारिक रूप से संगणित की जाएगी ; और

(2) पुरानी आस्ति की दशा में, मूल लागत ऐसी पुरानी आस्ति के अर्जन के लिए उपगत वास्तविक लागत होगी ।

<u>किराया खरीद तथा पट्टाकृत आस्तियों के लिए अतिरिक्त उपबंध</u>

(ii) किराया खरीद तथा पट्टाकृत आस्तियों के संबंध में, अतिरिक्त उपबंध निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(क) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 12 मास तक देय है- शून्य

अवमानक आस्तियां :

(ख) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 12 मास से अधिक परंतु 24 मास तक अतिदेय है - शुद्ध बही मूल्य का 10 प्रतिशत ।

संदेहास्पद आस्तियां :

(ग) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की भी कोई राशि 24 मास से अधिक परंतु 36 मास तक अतिदेय है - शुद्ध बही मूल्य का 40 प्रतिशत ।

(घ) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 36 मास से अधिक परंतु 48 मास तक अतिदेय है - शुद्ध बही मूल्य का 70औ

हानि आस्तियां :

(ङ) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 48 मास से अधिक अतिदेय है, शुद्ध बही मूल्य का 100 प्रतिशत ।

(iii) किराया खरीद की अंतिम किस्त की देय तारीख के पश्चात् 12 मास की अवधि के समाप्ति पर, संपूर्ण शुद्ध बही मूल्य का उपबंध किया जाएगा ।

टिप्पण :

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में आरईसी के पास उधार लेने वाले द्वारा रखे गए जमानती रुपया/अतिरिक्त धन या प्रतिभूति निक्षेप की रकम की, यदि करार के अधीन समान मासिक किस्तों की गणना करते समय पहले हिसाब में नहीं ली गई है ऊपर खंड (i) के अधीन अनुबंधित उपबंधों के अनुसार कटौती की जा सकेगी किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य की ऊपर खंड (ii) के अधीन अनुबंधित उपबंधों के अनुसार ही कटौती की जा सकेगी ।

(2) पट्टा करार के अनुसारण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य सहित पट्टा करार के अनुसरण में आरईसी के पास उधार लेने वाले द्वारा रखे गए प्रतिभूति निक्षेपों की रकम की ऊपर खंड (i) के अधीन अनुबंधित उपबंधों के अनुसार ही कटौती की जाएगी ।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर निष्पादनकारी आस्तियों पर आय मान्यता तथा उसके विरुद्ध उपबंध करना विवेकपूर्ण मापदंडों के दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं और इन मापदंडों के अनुसार उपबंध पट्टा समायोजन खाते में अतिशेष का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् संदर्भाधीन पट्टाकृत आस्ति का मूल्यह्रास बही मूल्य सहित कुल बकाया अतिशेषों पर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर, किए जाने अपेक्षित है । यह तथ्य कि गैर निष्पादनकारी आस्ति पर आय का मान्यता नहीं दी गई है, उपबंध न करने के लिए, कारण नहीं माना जा सकता ।

(4) कोई आस्ति जिसे इन निदेशों के पैरा (2)(xv) (ख) में निर्दिष्ट रूप में पुन परक्रामणित है, या पुनः नियत किया गया है या पुनः निर्मित किया गया है अवमानक आस्ति होगी या उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिसमें यह, यथा स्थिति, संदेहास्पद आस्ति या हानि आस्ति के रूप में इसके पुनः परक्रामणित या पुनः नियत या पुनः निर्मित से किए जाने से पूर्व थी । आवश्यक

उपबंध ऐसी आस्ति को यथा लागू उसके उन्नत किए जाने तक किया जाना अपेक्षित है ।

(5) सभी वित्तीय पट्टों पर ऐसी उपबंधकारी अपेक्षाएं लागू होगी जो किराया खरीद आस्तियों को लागू होती हैं ।

9. तुलन पत्र में प्रकटन

(1) आरईसी ऊपर पैरा 8 के अनुसार किए गए उपबंधों को उन्हें आय या आस्तियों के मूल्य के अनुसार शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त किए बिना अपने तुलन पृथक रूप से प्रकट करेगा ।

(2) इन उपबंधों को निम्नवत रूप में पृथक लेखा शीर्षों के तहत सुभिन्नतः दर्शित किया जाएगा:

(i) डूबंत तथा संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध ; और

(ii) निवेशों में ह्रास के लिए उपबंध ।

(3) ऐसे निवेश को आरईसी द्वारा धारित साधारण निवेश तथा हानि राजस्वों, यदि कोई हो, से अलग नहीं रखा जाएगा ।

(4) प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसा निवेश लाभ और हानि लेखा में विकलित किया जाएगा । साधारण उपबंधों तथा हानि आरक्षति शीर्षों के अधीन धारित अधिक निवेश का यदि कोई हो, उनके प्रति समायोजन किए बिना प्रति लेखन किया जाएगा ।

9क. लेखापरीक्षा समिति का गठन

आरईसी ने एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें उसके निदेशक बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य होंगे ।

स्पष्टीकरण : 1 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क की अपेक्षानुसार आरईसी द्वारा गठित की गई लेखापरीक्षा समिति इस पैरा के प्रयोजनों के लिए लेखापरीक्षा समिति होगी :

स्पष्टीकरण -।। : इस पैरा के अधीन गठित लेखापरीक्षा समिति को वही शक्तियां, होंगी,

उसके वही कृत्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का1) की धारा 292-क में अधिकथित है ।

9ख. लेखा वर्ष

आरईसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करेगा ।

9खख. तुलन पत्र की अनुसूची

आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित अपने तुलनपत्र के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित अनुसूची यथा उपवर्णित प्ररूप में विशिष्टया संलग्न करेगी ।

9ग. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

(1) असाईसी

(i) अपना निवेश किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के पास खो ले गए कानसट्टियूंट सब्सिडयरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से निक्षेपागार के साथ खोले गए डिमेटेरोलाइजड खाते में अनुमोदित प्रतिभूतियां रखेगा ; और

(ii) अपने सीएसजीएल खाते या अपने डिमेटेरेलाइज खाते के माध्यम से ही इन प्रतिभूतियों में लेनदेन करेगा ।

(2) आरईसी किसी दलाल के साथ भौतिक रूप में इन प्रतिभूतियों में लेनदेन नहीं करेगा ।

10. पूंजी पर्याप्तता के बारे में अपेक्षा

आरईसी एनबीएफसी के लिए समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा विहित अपनी जोखिम द्वारा नियत आस्तियों की तथा तुलन-पत्र से बाहर की जोखिम द्वारा समायोजित मूल्य

की टियर-1 तथा टियर-।। पूंजी का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखेगा । पूंजी पर्याप्तता अनुपात समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित पद्धति के अनुसार संगणित किया जाएगा ।

किसी निश्चित समय में टियर-।। पूंजी का योग टियर-। पूंजी एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा पर्याप्तता अनुपात ऐसी प्रतिशतता पर बनाए रखा जाएगा जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित पूंजी पर्याप्तता अनुपात से कम होगा ।

11. भूमि तथा भवन और कोट न किए गए शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

(i) यदि आरईसी लोकनिक्षेपों को स्वीकार कर रही है, तो यह निम्नलिखित में :-

(क) अपने ही प्रयोग के सिवाय भूमि या भवन में अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का दस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगा,

(ख) ऐसी किसी अन्य कंपनी के कोट न किए गए शेयरों में निवेश नहीं करेगी जो समनुषंगी कंपनी या आरईसी के उसी समूह की कंपनी नहीं है, अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का बीस प्रतिशत से अधिक रकम का निवेश नहीं करेगी।

परंतु अपने ऋणों के चुकाए जाने में अर्जित भूमि, या भवन या कोट न किए गए शेयरों का ऐसे अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आरईसी द्वारा निपटान तब किया जाएगा, जब आरईसी द्वारा पहले से ही धारित ऐसी आस्तियों सहित इन आस्तियों में निवेश उपरोक्तअधिकतम सीमा से अधिक है ।

स्पष्टीकरण : कोट न किए गए शेयरों में निवेश पर अधिकतम सीमा संगणित करते समय सभी कंपनियों के ऐसे शेयरों में निवेश का योग किया जाएगा । परंतु यह और कि कोट न किए शेयरों निवेश पर अधिकतम सीमा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात की गई सीमा तक किसी बीमा कंपनी की साधारण पूंजी में निवेश की बाबत लागू नहीं होगी ।

12. क्रेडिट/निवेश का संकेन्द्रण

(1) आरईसी

(i) किसी एकल उधार लेने वाले को अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का पांच प्रतिशत से अधिक,

उधार नहीं देगा ; और

(ii) निम्नलिखित में,

(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का पंद्रह प्रतिशत से अधिक, और

(ख) कंपनियों के एकल समूह के शेयरों में अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का पच्चीस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगा ;

परंतु यह और कि क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण पर उपरोक्त अधिकतम सीमाएं सरकारी कंपनी या किसी लोक वित्तीय संस्था या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमोदित प्रतिभूतियों बंध पत्रों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी ।

परंतु यह और कि किसी अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश पर उपरोक्त अधिकतम सीमा निदेशक बोर्ड द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात सीमा तक किसी बीमा कंपनी की साधारण पूंजी में निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी ।

परंतु यह और कि स्टेट क्रेडिट/निवेश संकेन्द्रण पर विहित अधिकतम सीमा, राज्य विद्युत यूटिलिटिज/राज्य सरकार /केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपक्रमों के उन ऋणों के संबंध में लागू नहीं होगी जिनके लिए अरक्षितता सीमाएं निम्नलिखित समग्र सीमाओं के भीतर अस्तित्व मूल्यांकन पर विहित की जाती हैं और उन पर आधारित है :

1. राज्य विद्युत यूटिलिटी (जहां एक डिस्कॉम से अधिक नहीं बनाए गए हैं वहां एकीकृत एसईबी और राज्यों के डिस्कॉम से भिन्न)/ विद्युत क्षेत्र में सरकार/ केंद्र सरकार के सरकारी क्षेत्रक उपक्रम के लिए आरईसी का शुद्ध मूल्य का 100 प्रतिशत ।

2. डिस्कॉम के लिए (जहां वितरण कार्य की देखभाल करने के लिए एकल डिस्कॉम बनाए गए हैं वहां राज्यों में) आरईसी के शुद्ध मूल्य का 200 प्रतिशत ।

3. एकीकृत एसईबी के लिए आरईसी के शुद्ध मूल्य का 250 प्रतिशत ।

4. ऊपर श्रेणी 1 से 3 तक से भिन्न केंद्रीय/ राज्य क्षेत्र/ उधारकर्ता संयुक्त क्षेत्र के लिए आरईसी के शुद्ध मूल्य का 50 प्रतिशत ।

(2) आरईसी अपनी स्वामित्वाधीन निधियों का 50औ से अधिक कंपनियों के एकल समूह को उधार नहीं देगा । तथापि आरईसी आपवादिक परिस्थितियों में निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से प्रत्येक मामले में अपने स्वामित्वाधीन निधियों की और 5औ तक अरक्षितता पर विचार कर सकेगा ।

टिप्पण :

(1)(क) जहां एकल डिस्कॉम विद्यमान है (जिसे अभी खोला नहीं गया है) वहां राज्य में आरईसी के शुद्ध मूल्य का अरक्षितता सीमा 100 प्रतिशत से अधिक तथा 200 प्रतिशत तक और एकीकृत एसईबी के लिए आरईसी का शुद्ध मूल्य का 250औ तक केवल वहां अनुज्ञात किया जाएगा जहां पीएफसी ने संबंध राज्य/ यूटिलिटी को ''क'' श्रेणी के रूप में दर्जा दिया है/वर्गीकृत किया है ।

(ख) अरक्षितता सीमा में से एकीकृत एसईबी के लिए आरईसी के शुद्ध मूल्य का 250औ तक अनुज्ञात किया गया है, उत्पादन परियोजनाओं के लिए अरक्षितता सामान्यतः आरईसी के शुद्ध मूल्य के 100औ तक सीमित होगी ।

(ग) पारेषण और वितरण परियोजनाओं की दशा में आरईसी की शुद्ध मूल्य के 100औ की सीमा से परे अरक्षितता के लिए ।

(i) जहां विद्यमान एटी एंड सी हानियां 30औ से अधिक हैं वहां उधार लेने वाले अस्तित्व उस परियोजना के लिए न्यूनतम 2औ तक प्रतिवर्ष हानियों को कम करेगा ।

(ii) उपरोक्त अरक्षितता सीमाओं का निर्धारण करने के लिए तुलन-पत्र से बाहर अरक्षितताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा उपबंधित समपरिवर्तन कारकों को लागू करके क्रेडिट जोखिम में संपरिवर्तित किया जाए।

(3) उपर्युक्त परियोजन के लिए डिबेंचरों में निवेश को क्रेडिट के रूप में न कि निवेश के रूप में

समझा जाए ।

(4) क्रेडिट/निवेश पर उपरोक्त अधिकतम सीमाएं आरईसी के अपने ही समूह और साथ ही में उधारकर्ता/निवेशकारी कंपनियों के अन्य समूह को लागू होंगी ।

(5) इस प्रयोजन के लिए क्रेडिट अरक्षितता की सभी स्कीमों (जिसके अंतर्गत गारंटी सहायता भी) और निष्पादित ऋणों के लिए असंवितरीत प्रतिबद्धताओं के अधीन बकाया क्रेडिटों के रूप में गणना की जाएगी ।

(6) उन सभी मामलों में जहां कारपोरेशन या तो क्रेडिट के रूप में या निवेश के रूप में मुख्य अरक्षितता अपनाने पर विचार करता है वहां कारपोरेशन उधार लेने वाले अस्तित्व के बोर्ड के निदेशक (निदेशकों) के नामांकन की शर्त अधिरोपित करेगा और ऐसे नामांकन या तो कारपोरेशन के भीतर से या अन्यथा, जैसा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णय किया जाए, करेगा ।

13. भारतीय रिजर्व बैंक को विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक के गैर बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग को, जिसकी अधिकारिता में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अधीन इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो ।

13क. पते में परिवर्तन, निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि के बारे में सूचना का तब प्रस्तुत किया जाना जब लोक निक्षेप को स्वीकार/धारण नहीं किया जा रहा है ।

आरईसी निम्नलिखित विषयों में किसी परिवर्तन के होने से एक मास के अपश्चात् निम्नलिखित सूचित करेगा :

(क) पंजीकृत/कारपोरेट कार्यालय का संपूर्ण डाक-पता, टेलीफोन सं. तथा फैक्स संख्या ;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा उनकें निवास के पते ।

(ग) इसके प्रधान अधिकारियों के नाम तथा उनके शासकीय पदाविधान ;

और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोक निक्षेप स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश 1998 की दूसरी अनुसूची में यथा उपदर्शित भारतीय रिजर्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूने हस्ताक्षर भेजेगा ।

13ख. अवसंरचनात्मक ऋण संबंधी मापदंड

(1) लागू होना

(i) ये मापदंड इन मापदंडों के पैरा 2(1)(viiक) में यथा परिभाषित अवसंरचनात्मक ऋण जो पूर्णतया या भागतया प्रतिभूत मानक तथा अवमानक आस्ति है, और उस ऋण से, जो निबंधनों के पुनः निर्मित करने और/या पुनः नियत करने और/या पुनः परक्रामणित के अध्यधीन है, से संबंधित करार के निबंधनों को पुनः निर्मित करने और/या पुनः नियत करने और/या परक्रामण को लागू होंगे ।

(ii) जहां आस्ति भागतः प्रतिभूत की जाती है, वहां, वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित उपबंध से अलग, परंतु प्रज्ञावान मापदंडों के अध्यधीन, ऋणों के पुनर्निमित करते समय और/या उन्हें पुनः नियत करते समय और/या उनका पुनः परक्रामण करते समय उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा के लिए उपबंध किया जाएगा ।

(2) अवसंरचनात्मक ऋण के निबंधनों की पुनर्सरचना, पुनर्नियतीकरण और पुनः परक्रामण

आरईसी, आस्ति के अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात् कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अधिकथित नीति कार्यपद्धति के अनुसार अवसंरचनात्क ऋण करार के निबंधनों की पुनर्सरचना या उनको पुनःनियत या पुनःपरक्रामण कर सकेगा ।

परंतु यह और कि मूलधन और/या ब्याज की पुनर्सरचना करना और/या उसे पुनः नियत करना और/या उसका पुनः परक्रामण, पुनर्सरचना या पुनःनियत करने या पुनः परक्रामण करने वाले पैकेज विकसित करने के अतिरिक्त त्याग सहित या त्याग रहित हो सकेगी ।

(3) पुनर्सरचनित मानक ऋण का निरूपण

किसी मानक आस्ति की पुनः नियत करने या पुनर्सरचना करने या पुनः परक्रामण करने से इसे पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा । बशर्ते कि पुनरीक्षित परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा

व्यवहार्य पाई जाती है ।

(4) पुनर्संरचनित अवमानक आस्ति का उपचार

एक वर्ष की समाप्ति तक अवमानक आस्ति मूलधन की किस्तों के पुनर्संरचना करने या उनके पुनर्नियतीकरण या पुनःपरक्रामण की दशा में उसी श्रेणी में बनी रहेंगी और समायोजन के मद्दे जिसके अंतर्गत बाद में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के तत्व में पिछले ब्याज देय के अपलिखित किए जाने के रूप में समायोजन भी है, छोड़ी गई ब्याज की रकम, यदि कोई हो, मान्यता प्राप्त नहीं होगी ।

(5) ब्याज का समायोजन

जहां ब्याज की दर में कटौती में पुनर्नियतीकरण या पुनः परक्रामण या पुनर्संरचना अंतर्वलित है वहां ब्याज समायोजन अवसंरचना ऋण (उधार लेने वाले को लागू जोखिम रेटिंग के लिए यथा समायोजित) को वर्तमान रूप में लागू ब्याज की दर और पुनर्संरचना, पुनर्नियतीकरण या पुनःपरक्रामण प्रस्थापना में अनुबंधित इस प्रकार संदेय भावी ब्याज की वर्तमान मूल्य (जोखिम वृद्धि के लिए समायोजित अवसंरचना ऋण को वर्तमान में लागू दर पर छूट) के योग के बीच अंतर को लेकर संगणित किया जाएगा।

(6) वित्त पोषित ब्याज

गैर-निष्पादन कार्य आस्तियों के बाबत ब्याज के वित्त पोषण की दशा में, जहां वित्त पोषित ब्याज आय के रूप में मान्यता प्राप्त है वहां वित्त पोषित ब्याज का पूर्ण रूप से उपबंध किया जाएगा ।

(7) आय मान्यता संबंधी संनियम

अवसंरचना ऋण की बाबत आय मान्यता इन निदेशों के पैरा 3 के उपबंधों द्वारा शासित की जाएगी ।

(8) पुनर्संरचनित अवमानक अवसंरचना ऋण के उन्नयन के लिए पात्रता

पुनर्नियतीकरण और/या पुनःपरक्रामण और/या पुनर्संरचना करने के अधीन रहते हुए अवमानक आस्ति चाहे वह मूलधन या ब्याज की रकम, चाहे वह किसी भी पद्धति से हो, की किस्तों के

संबंध में हो, पुनर्संरचना और/या पुनर्नियतीकरण और/या पुनःपरक्रामण संबंधी निबंधनों के अधीन संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक मानक श्रेणी में उन्नत नहीं की जाएगी ।

(9) ऋण का इक्विटी में परिवर्तन

जहां ब्याज के रूप में देय रकम इक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित की जाती है और आय को परिणामस्वरूप मान्यता दी जाती है वहां ऐसी आय मान्यता के प्रभाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार मान्य ठहराई गई आय की रकम के लिए पूर्ण उपबंध किया जाएंगा :

परंतु कोई उपबंध किया जाना अपेक्षित नहीं है यदि इक्विटी में ब्याज का इक्विटी, जिसका उल्लेख किया गया है, में परिवर्तन किया गया है ।

परंतु यह और कि ऐसे मामलों में ब्याज की आय को, परिवर्तन की तारीख को इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की रकम से अनधिक इक्विटी के बाजार मूल्य पर मान्यता दी जा सकेगी ।

(10) ऋण का डिबेंचरों में परिवर्तन :

जहां गैर निष्पादनकारी आस्तियों की बाबत मूलधन और/या ब्याज रकम डिबेंचरों में परिवर्तित कर दी जाती है वहां ऐसी डिबेंचरों को उसी आस्ति के वर्गीकरण में आरंभ से ही गैर निष्पादनकारी आस्ति के रूप में समझा जाएगा जो परिवर्तन से ठीक पूर्व ऋण को लागू था और मापदंडों के अनुसार उपबंध किया जाएगा ।

(11) ककक निर्धारित प्रतिभूत कागज-पत्र में निवेश के लिए जोखिम की मात्रा

अवसंरचना सुविधा से संबंधित ''ककक'' निर्धारित प्रतिभूत कागज-पत्र में निवेश को निम्नलिखित शर्तों के पूरे किए जाने के अधीन पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50औ का जोखिम निर्धारण लागू होगा ।

(i) अवसंरचना सुविधा आय/नकद प्रभाग को उत्पन्न करता है जो प्रतिभूत कागज-पत्र की सर्विसिंग/पुनर्संदाय को सुनिश्चित करता है ।

(ii) किसी एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा रेटिंग वर्तमान में चल रही है और वैध है ।

स्पष्टीकरण : विश्वास की गई रेटिंग को चालू और वैध समझा जाएगा यदि रेटिंग इश्यू के खुलने की तारीख को एक मास से अधिक पुरानी नहीं है, और इश्यू के खुलने की तारीख को रेटिंग अभिकरण से रेटिंग रेसनेल एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग रेसनेल प्रस्थापना दस्तावेज का भाग रूप है ।

(iii) गौण बाजार अर्जन की दशा में इश्यू की 'ककक' रेटिंग प्रवर्तन में है और संबंधित रेटिंग अभिकरण द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से पुष्ट है ;

(iv) प्रतिभूत कागज-पत्र एक निष्पादनकारी आस्ति ही है ।

(14) छूट

निदेशक बोर्ड, यदि वह किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य न्यायसंगत तथा पर्याप्त कारण के लिए आवश्यक समझता है, या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह अधिरोपित करे, इन निदेशों के सभी उपबंधों या उनमें से किसी उपबंध का अनुपालन करने या उनसे छूट प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार प्रदान कर सकेगा ।

(15) निर्वचन

इन मापदंडों के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसके अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं ।